

सरगुजा जिला अन्तर्गत 132 के.व्ही. विधुत पारेषण लाईन बिश्रामपुर से परसा 80.40 किमी. के निर्माण हेतु 3.619 हे० राजस्व वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव बावत्।

चेक लिस्ट क्रमांक - 26

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CG/TRANS/22046/2016

1	परियोजना का नाम	सरगुजा जिला अन्तर्गत 132 के.व्ही. विधुत पारेषण लाईन बिश्रामपुर से परसा 80.40 किमी. के निर्माण हेतु 3.619 हे० राजस्व वनभूमि का प्रस्ताव		
2	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	कार्यपालन अभियंता (अति उच्चदाब निर्माण संभाग) छत्तीसगढ़ राज्य विधुत पारेषण कंपनी मर्यादित कोरबा		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	विधुत लाईन का निर्माण कार्य		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
		सरगुजा	सरगुजा	अम्बिकापुर, लखनपुर एवं उदयपुर वनपरिक्षेत्र
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण	वन खण्ड/तह सील	कक्ष क्रमांक/ग्राम	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हे.)
	क. सीमांकित संरक्षित वन	—	—	—
	ख. आरक्षित वन	—	—	—
	ग. राजस्व वनभूमि	अम्बिकापुर	बोंकीपुर, कृष्णापुर, मुडैसा, फतेहपुर, सपना	1.274
		लखनपुर	पुहपट्टरा, कोरजा	0.827
		उदयपुर	साल्ही	1.518
	योग :-			3.619 हे.
	महायोग :-			3.619 हे.
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल एवं मिश्रित वन, घनत्व-0.0 से 0.1 तक		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	वृक्षों के गणना प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न प्रजातियों के 27 मीटर के चौड़ाई में कुल 175 वृक्ष स्थित है। विधुत लाईन निर्माण हेतु आवश्यक चौड़ाई 12 मीटर में विभिन्न प्रजातियों के कुल 82 वृक्ष स्थित है, जिनका विदोहन किया जाना आवश्यक होगा। वृक्षों का गणना प्रतिवेदन प्रपत्र में संलग्न है।		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	नगण्य		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	—		

वन संरक्षक

एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

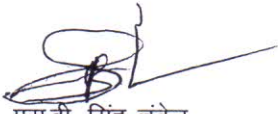
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensetive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/ वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	नहीं।
11	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।)	132 के.व्ही. विधुत लाईन निर्माण हेतु राजस्व वनभूमि कुल 3.619 हे. का वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव छ.ग. राज्य विधुत पारेषण कंपनी मर्यादित कोरबा द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	नहीं।

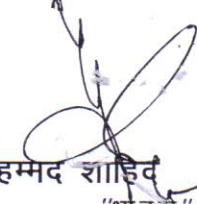
प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन 132 के.व्ही. बिश्रामपुर-परसा विधुत पारेषण लाईन निर्माण कार्य हेतु वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल - अम्बिकापुर, लखनपुर एवं उदयपुर परिक्षेत्र।

दिनांक - 01.03.2017.


एस.बी. सिंह चंदेल
संयुक्त वनमण्डलाधिकारी,
Joint D.F.O.
Udaipur Sub Division


मोहम्मद शाहिद
"भा.व.स."
वन संरक्षक
एवं प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर


वन परिक्षेत्राधिकारी
उदयपुर


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र लखनपुर


वन परिक्षेत्राधिकारी
अम्बिकापुर